(स्वप्रमाणित प्रतिलिपि आदेश)

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :अयोध्या,जनपद :बाराबंकी,तहसील :रामसनेही घाट
वाद संख्या :-1372/2021
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202141248021372
जे०बी०एस० मेमोरियल ट्रस्ट बनाम उत्तर प्रदेश सरकार
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

निर्णय

प्रस्तुत वाद धारा–80 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता–2006 के अन्तर्गत जे0बी0एस0 मेमोरियल ट्रस्ट प्रबन्धक अंगद कुमार सिंह निवासी 20/177 इन्दिरानगर लखनऊ द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन दिनांक 23.04.2021 की जॉच तहसीलदार रामसनेहीघाट द्वारा करके अपनी ऑनलाइन आख्या दिनांक 03.08.2021 प्रस्तुत की गयी। वाद नियमानुसार पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त के सम्बन्ध में तहसीलदार रामसनेहीघाट द्वारा प्रेषित जॉच आख्या दिनांक 03.08.2021 में जगन्नाथ बख्श सिंह (जे.बी.एस.) मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा अंगदकुमार सिंह पुत्र जगन्नाथ बख्श सिंह पता 20/177 इन्दिरानगर लखनऊ के नाम अंकित गाटा संख्या 89/1.169हे0 व 90/0.048हे0 को धारा–80 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किये जाने के सम्बन्ध में आख्या निम्न प्रकार है:–

1–धारा–80 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अन्तर्गत तहसीलदार रामसनेहीघाट द्वारा प्रेषित आख्या निम्नवत् है:–(प्रारूप पत्रावली संलग्न है)

राजस्व ग्राम का नाम–जलपापुर परगना–दरियाबाद

ग्राम का नाम	भूमिधर का नाम पिता का नाम व स्थान	खतौनी खाता संख्या	खाते का क्षेत्र0	मा0गु0	गाटा संख्या	क्षेत्र0	विशिष्ट गैर कृषि प्रयोजन के लिए खाता या उसका कोई भाग	विशिष्ट विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
जलपापुर	जगन्नाथ बख्श सिंह (जे.बी.एस.) मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा अंगदकुमार सिंह पुत्र जगन्नाथ बख्श सिंह पता 20/177 इन्दिरानगर लखनऊ	206	4.515	110.30	89 90	4.169हे. 0.048हे.	रकबा 1.214 हे0 पर आवासीय गतिविधियॉ विद्यमान है। कृषि कार्य में प्रयुक्त नही हो रहा है।	चा0सं0

2–आवेदक का आवेदन स्वयं का है। ऐसी दशा में नोटिस दिया जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

3–आवेदक की गाटा सख्या 89/4.169हे0 के आंशिक भाग 1.166हे0 व गाटा संख्या 90/0.048हे0 के सम्पूर्ण भाग पर आवासीय गतिविधियॉ विद्यमान है जिसका सम्बन्ध कृषि बागवानी मत्स्य पालन व कुक्कुट पालन से नही है।

4–आवेदक द्वारा अकृषिक घोषित किये जाने वाली भूमि से सम्बन्धित नजरी नक्शा संलग्न किया गया है जिसका सम्बन्ध कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन व कुक्कुट पालन से नही है।

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
गण्डल :अयोध्या,जनपद :बाराबंकी,तहसील :रामसनेही घाट
वाद संख्या :-1372/2021
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202141248021372
जे०बी०एस मेमोरियल ट्रस्ट बनाम उत्तर प्रदेश सरकार
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

5–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली–2006 की धारा–85(2) के अन्तर्गत घोषणा के लिए निर्धारित मूल्यांकन सूची के अनुसार उद्घोषणा शुल्क व न्याय शुल्क प्रश्नगत रकबे का कृषि प्रयोजन के लिए निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार आगणित रकम का एक प्रतिशत एंव सीमांकन शुल्क एक गाटे का 1000.00 जमा कराया जाता है। किन्तु उक्त प्रकरण आवासीय होने के कारण जमा कराये जाने का कोई प्राविधान नही है।

6–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली–2006 की धारा–85(2) के अन्तर्गत घोषणा के लिए निर्धारित मूल्यांकन सूची के अनुसार वर्तमान भू–उपयोग वाणिज्यिक वाले वादों में उद्घोषणा शुल्क व न्याय शुल्क प्रश्नगत रकबे का कृषि प्रयोजन के लिए निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार आगणित रकम का एक प्रतिशत न्याय शुल्क जमाकोष कराया जाता है। किन्तु उक्त वाद आवासीय होने के कारण सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, बाराबंकी के आदेश दिनांक 16.09.2020 व आयुक्त स्टाम्प उत्तर प्रदेश प्रयागराज के आदेश दिनांक 14.09.2020 के अनुपालन में घोषणा के लिए निर्धारित मूल्यांकन सूची के अनुसार न्याय शुल्क प्रश्नगत रकबे का कृषि प्रयोजन के लिए निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार आगणित रकम का एक प्रतिशत न्याय शुल्क मु0 33992–00 चालान संख्या एच. 500002 दिनांक 05.08.2021 को लेखा शीर्षक में जमा करा दिया गया है।

7–अनापत्ति के सम्बन्ध में सहखातेदार द्वारा अनापत्ति शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

अतएव प्रश्नगत गाटा संख्या 89/4.169हे0 के आंशिक भाग 1.166हे0 व गाटा संख्या 90/0.048हे0 के सम्पूर्ण भाग पर आकृषिक प्रयोग में लाया जा रहा है। इस कारण धारा–80 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता–2006 के अन्तर्गत आकृषिक घोषित किये जाने हेतु रिपोर्ट संस्तुति सहित अग्रसारित की गयी है। तहसीलदार रामसनेहीघाट जनपद बाराबंकी की जॉच आख्या एंव पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक् परिशीलन किया गया जिससे विदित होता है कि आवेदक का रक्बा 1.214हे0 पूर्णतया अकृषिक किया जा सकता है। ऐसी दशा में उपरोक्त भूमि राजस्व संहिता 2006 की धारा 80 के अन्तर्गत घोषित किये जाने में कोई विधिक अडचन नही है।

आदेश

अतः ग्राम जलपापुर परगना दरियाबाद तहसील रामसनेहीघाट की खतौनी वर्ष 1423–1428फ0 की खाता संख्या 206 के दर्ज खातेदार जगन्नाथ बख्श सिंह (जे.बी.एस.) मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा अंगदकुमार सिंह पुत्र जगन्नाथ बख्श सिंह मुख्य ट्रस्टी पता 20/177 इन्दिरानगर लखनऊ के नाम अंकित गाटा संख्या 89/4.169हे0 के आंशिक भाग 1.166हे0 व गाटा संख्या 90/0.048हे0 के सम्पूर्ण भाग के सम्पूर्ण भाग 1.214हे0 को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता–2006 की धारा 80 के अन्तर्गत गैर कृषिक घोषित किया जाता है। तहसीलदार रामसनेहीघाट की आख्या दिनांक 03.08.2021 आदेश का अंग रहेगा। यदि उल्लखित गाटा संख्या के विरूद्व ऐसा कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश मे आता है तो उक्त आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा। आदेश की प्रति उपनिबन्धक रामसनेहीघाट को अनुपालन हेतु भेजी जाय। वाद अमलदरामद पत्रावली संचित अभिलेखागार हो।

दिनांक–10.08.2021

उपजिलाधिकारी
रामसनेहीघाट–बाराबंकी।

10.8.2021